


२४/६/१७

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

पत्रावली का लोड अडालत न्याय कोष पर हार आम पचायत मुख्यालय पर पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित लेकर विवेक विधान आदेशिका पर क्विंट विना कि मैं वाद पर अब कोई कार्रवाई नहीं चालता वादकर्ता स्तर पर कार्रवाई होप कि जॉब वादी की पहचान आम पचायत सरपच अचोरी देवी ने की है कि वाद पत्र पर कार्रवाई होप की जाती है मिला फॉर्मल शुभार लेकर नम्बर से कम हो दफ्तर दाखिल हो।


उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

दिनांक २४/०६/२०१७
सुलतान चौक
इ कामे वादी
होप की जाने
१०/१/१७
२४.०६.२०१७

सुलतानी

* सरपच *
ग्राम पंचायत, अचोरी देवी
मसूदा (अजमेर)

